अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2020 (GCMS 2020/00034) (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/988644) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 16.12.2019 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपत करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कोषाधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक 434 दिनांक 03.12.2019 के सम्बन्ध में सूचना
>
> 1. आवेदक अपीलार्थी का किसी भी प्रकार का कोई लोकहीत नहीं है अपितु केवल विभाग को परेशान करने की नियत से आवेदन प्रस्तुत करता रहता है, जिससे विभाग के राजकार्य मे बाधा उत्पन्न होती है

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

1. केवल लोकहित से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है इस संबंध में सूचना के अधिनियम संबंधी नियम की धारा व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. विभागो को परेशान करने सम्बन्धी दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा विभाग के राजकार्य में बाधा सूचना मांगने से हुई है, उस दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि जिससे राजकार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1076 दिनांक 28.02.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री राधेश्याम गोयल द्वारा निम्न सूचनाएं चाही है:

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर व कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 434 दिनांक 03.12.2019 के सम्बन्ध में सूचना :

1. आवेदक अपीलार्थी का किसी भी प्रकार का कोई लोकहीत नहीं है अपितु केवल विभाग को परेशान करने की नियत से आवेदन प्रस्तुत करता रहता है, जिससे विभाग के राजकार्य मे बाधा उत्पन्न होती है।
1. केवल लोकहित से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है इस संबंध में सूचना के अधिनियम संबंधी नियम की धारा व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. विभागो को परेशान करने सम्बन्ध दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा विभाग के राजकार्य में बाधा सूचना मांगने से हुई है, उस दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि जिससे राजकार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना के सम्बन्ध में :

उक्त सूचना के संबध में अवगत करवाया गया है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना तात्पर्य किसी भी स्वरूप किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेकट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, इ–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खाते गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। यदि प्राथ्री चाही तो इस कार्यायल में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकता है।

इस सम्बन्ध में सूचना नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर क्रमांक 115 दिनांक 30.01.2020 द्वारा सूचना भिजवाई गई है।

-sd-
[illegible]धिकारी
[illegible]गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

मैनें, पत्रावली का [illegible] कि जिला कोषाधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1076 दिनांक [illegible].02.2020 से अपील को जवाब उक्तानुसार दिया है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है परन्तु जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने ऐसा कोई दसतावेज

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ज्ञात होता हो कि उन्होनें अपीलार्थी कोई जवाब प्रेषित किया हो जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, की सूचना अपीलार्थी को दी है अथवा नहीं,? का पता नहीं चलता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्णय [illegible] कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे। अ[illegible] निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 27.02.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested